RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC-II/CPM/09/KPHO/2014-17
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

जुलाई-2016 | वर्ष – 08 | अंक : 06 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. इं. राम अवतार चौधरी , इं. के. के. लाल (बन्धरा) मा.छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम हिन्दुस्तानी, मल्हौसी, औरैया, उ.प्र. मो.: 9456207206
फुरकान खान, मो. : 8081577681
राकेश समुन्द्रे, मो. : 9889727574
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.- बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर, एड. कमलेश, लखनऊ
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय : ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें – भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-नवीन मार्केट, कानपुर खाता सं.-33496621020•IFSC CODE-SBIN005307

छत्रपति साहू महाराज

हमारे देश में अनेक व्यक्तित्व ऐसे हुए है जो सुविधाओं में पले, पर जैसे – जैसे बचपन से उन्होंने जवानी की ओर कदम रखा, वैसे – वैसे उन्होंने अभाव में रह रहे लोगों की पीड़ा तथा दर्द को समझा, महसूस किया और उनके लिए कार्य कर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया। ऐसे ही महापुरूषों में से थे छत्रपति साहू महाराज जी, जिन्होंने राजा होते हुए भी हर समय दलित तथा शोषित वर्ग से अपना रिश्ता बनाए रखा।

साहू महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे और माता का नाम राधाबाई था। उनके बचपन का नाम यशवन्तराव था।

साहू महाराज की शिक्षा राजकोट के 'राजकुमार महाविद्यालय' में हुई। राजकोट की शिक्षा समाप्त कर आगे की शिक्षा समाप्त कर आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1890 से 1894 तक वे धारावाड़ में रहें। उन्हें अंग्रेजी और इतिहास आदि अन्य विषयों से राजकाज चलाने की भी शिक्षा दी गई। वे पढ़ाई – लिखाई में कुशल थे। साथ ही शासन सम्बन्धी मामलों को जल्दी ही समझ लिया था।

छत्रपति साहू महाराज 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा हुए। उन दिनों समाज में जातिवाद का बोलबाला था। समाज में जाति, धर्म तथा वर्गों के आधार पर विषमता बढ़ रही थी। समाज का एक वर्ग पिस रहा था और दूसरा उस पर हावी था। साहू महाराज ने इस सबका विश्लेषण करने के बाद दलितोद्धार का कदम उठाया। उन्होंने शूद्रातिशूद्र वर्ग को ऊपर उठाने के लिए एक योजना बनाई और उसे कार्यरूप में लाए। इसके लिए उन्होंने दलित तथा पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए स्कूल – कॉलेजों की स्थापना के साथ – साथ उनके लिए छात्रालयों की स्थापना की। समाज में जो वर्ग हजारों वर्षों से सताया जा रहा था, जब उसमें पविर्तन होने लगा तो उच्च वर्ग हजारों वर्षो से सताया जा रहा था, जब उसमें परिवर्तन होने लगा तो उच्च वर्ग को बुरा लगा। वे महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। परिणाम यह हुआ कि साहू महाराज की तथाकथित सवर्ण जाति के लोग एक स्वर में निन्दा करने लगे। स्वयं राजपुरोहित ने कहा– 'आप शूद्र है और शूद्र को वेद मन्त्र सुनने का अधिकार नहीं है।' उस समय कोल्हापुर के राजपुरोहित का समर्थन शंकराचार्य ने भी किया था। साहू महाराज ने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इन सबका डटकर मुकाबला किया।

उन्होंने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि दलित तथा पिछड़ी जातियों की अवनति के पीछे समाज में जातिभेद ओर विषमता एक बड़ा कारण रहा है– एक वर्ग का मान – सम्मान हो तथा दूसरे का अपमान। उन्होंने अमानवीय आधार पर चल रही परम्परा पर वार किया और जन – जन में प्रचार के लिए आन्दोलन चलाया।

1911 में साहू महाराज ने अपने संरक्षण में 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की। उन्होंने कोल्हापुर में 'सत्य शोधक पाठशाला' चलाई। गांव – गांव में सत्य शोधक समाज के सम्मेलन आयोजित किए। यही नहीं दलित समाज के विद्यार्थियों को धर्मज्ञान प्राप्त करने की स्वस्थ परम्परा का विकास किया। ध्यान रहे कि 1873 में महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की थी। जात – पांत, ऊंच – नीच की मानवद्रोही और समाजद्रोही विचार प्रणाली के विरूद्ध मानव और मानव के बीच समता का समर्थन करने वाला यह आन्दोलन था। साहू महाराज ने इसी आन्दोलन को अपनी रियासत में आगे बढ़ाया था।

1919 में डॉ0 अम्बेडकर साहू महाराज के सम्पर्क में आए। उनकी सहायता से ही 31 जनवरी 1920 में बाबा साहेब ने मूकनायक (गूंगों का नेता) मराठी पाक्षिक समाचार – पत्र आरम्भ किया।

21 मार्च 1920 को कोल्हापुर रियासत के माणगांव में डॉ0 अम्बेडकर की अध्यक्षता में दलितों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में साहू महाराज ने भाषण देते हुए कहा था– 'भाइयों, आज आपको डॉ0 अम्बेडकर के रूप में अपना रक्षक नेता मिला। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉ0 अम्बेडकर आपकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ देंगे। समय आएगा और डॉ0 अम्बेडकर अखिल भारत के प्रथम श्रेणी के नेता के रूप में चमक उठेंगे।' उस समय कौन जानता था कि साहू महाराज की भविष्यवाणी एक दिन सही साबित होगी।

15 अप्रैल 1920 को साहू महाराज के सहयोग से ही नासिक में 'विद्या वसतीगृह' की स्थापना हुई। इसकी स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था– 'बहुत से लोगों का कहना है कि जाति भेद बुरा नहीं, पर जातिद्वेष नहीं होना चाहिए।' ऐसा विचार रखने वाले लोगों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जातिभेद का कार्य ही जातिद्वेष पैदा करता है। इसलिए जातिभेद सबसे पहले समाप्त करना चाहिए।

साहू महाराज सम्पूर्ण भारतीय समाज में परिवर्तन देखना चाहते थे। एक ओर उन्होंने जहां आदिवासियों को गांवों मे बसाने का कार्य किया वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने का कानून भी 1912 में बनाया था। उन्होंने पुनर्विवाह के लिए भी कानून बनाया। इस तरह से उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी कानून बनाकर समाज में परिवर्तन होने की परिस्थितियों की संरचना में सहयोग दिया। उनका किसी जाति विशेष के लोगों से कोई द्वेष न था लेकिन समाज में स्वस्थ्य मूल्यों का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए ही शायद तत्कालीन समय में उच्च वर्ग के कुछ लोग उनके विरोधी हो गए थे और उन्हें अपना शत्रु मानने लगे थे। पर साहू महाराज किसी के शत्रु न थे। न ही किसी को शत्रु बनाने में रूचि थी। वे तो मानव – मानव के बीच प्यार और भाईचारे के अंकुर पैदा करना चाहते थे। जिसमें किसी सीमा तक वे सफल भी हुए।

निश्चित ही साहू महाराज ने भारतीय समाज से विषमता समाप्त करने तथा समता और बराबरी के मानवीय सिद्धान्त को लागू कराने के लिए जीवनभर जो संघर्ष किए, वे हमेशा – हमेशा के लिए याद किए जायेंगे तथा समाज की भावी पीढ़ी उनसे हर एक युग में प्रेरणा भी लेती रहेगी। उन्होंने जातिभेद समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया था। यही नहीं, समय – समय पर वे बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर को हर तरह से सहयोग भी किया करते थे। उनके मन में बहुजन समाज के लिए गहरा लगाव था। वैसे वे हर समाज की प्रगति देखना चाहते थे। पर जो भी कारणवश पिछड़ गए थे उन्हें आगे लाना भी वे अपना फर्ज समझते थे।

10 मई 1922 को उनका निधन हो गया। स्वयं बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर को उनके निधन पर बहुत दुःख हुआ था। क्योंकि वे जानते थे कि इस तरह के महापुरूष बिरले ही जन्म लेते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं। साहू महाराज उनमें से ही एक थे, जो जीवनपर्यंत समाज में समता और बराबरी देखने के लिए संघर्ष करते रहे।

साभार : समता की ओर (सूचना विभाग) पृष्ठ 13–16

अध्याय : 10 अस्पृश्य क्या कहते हैं श्री गांधी से सावधान

I

कांग्रेस वाले अस्पृश्यों को यह पट्टी पढ़ाने में कभी संकोच नहीं करते कि केवल श्री गांधी ही उनके संरक्षक हैं। कांग्रेसी भारत भर में घूम–घूम कर केवल श्री गांधी को ही अस्पृश्यों का संरक्षक होने का दावा करते हैं। यही नहीं इससे भी आगें बढ़ कर वे अस्पृश्यो से यह कहते फिरते हैं कि वास्तविकता यही है कि श्री गांधी ही उनके संरक्षक हैं। जब वे उन्हें बहकाते हैं, तो उदाहरण देते हैं कि यदि अस्पृश्यों के अधिकारों के लिए कोई प्राणों की बाजी लगा सकता है, तो वह है केवल श्री गांधी उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। वे निस्संकोच और बिना किसी पश्चाताप के उन अस्पृश्यों से कहते हैं कि पूना पैक्ट के अंतर्गत अस्पृश्यों को जो राजनीतिक अधिकार मिले हैं, वे श्री गांधी जी के प्रयत्नों का फल है। उदाहरण के लिए ऐसे प्रचार का एक उदाहरण मैं राय बहादुर मेहर चंद खन्ना का पेश करता हूं। जिन्होंने पेशावर में 12–4–45 को दलित वर्ग संघ के तत्वावधान में हुई अस्पृश्यों की सभा में कहा था :–

"तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने तुम्हारे अधिकारों के लिए अनशन किया और पूना पैक्ट के अंतर्गत मताधिकार, स्थानीय निकायों और विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व और भोजन का अधिकार दिलाया। आप में से कुछ लोग डॉ. अम्बेडकर के पीछे दौड़ रहे हैं, जिसे साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ने खड़ा किया है और जो आपको ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अंग्रेज भारत में फूट डाल कर शासन करते रहे। मैं आपके हित में आप लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने नेता और अपने वास्तविक शुभचिंतक मित्र के अंतर को पहचाने।

यदि मैंने राय बहादुर मेहर चंद खन्ना का बयान उद्धत किया है, तो इसलिए नहीं कि वह ध्यान देने योग्य है, वरन इसलिए कि भारतीय राजनीति में इतने गुल खिलाने वाला उनके सिवाय और कोई नहीं है। एक ही वर्ष के अंदर वर्ष 1944 में खन्ना ने सफलतापूर्वक तीन भूमिकाएं निभाई। उन्होंने हिंदू महासभा का मंत्री बनकर अपना कार्य आरंभ किया, ब्रिटिश सरकार के दलाल बने, समुद्र पार गए, और अब वह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस के गुर्गे के रूप में कार्य कर रहे हैं। राय बहादुर खन्ना के विषय में, जो मैंने उदाहरण दिए हैं, वे केवल यह दिखाने के लिए हैं कि श्री गांधी के मित्र अस्पृश्यों को गुमराह कर बहकाने के लिए किस प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं।

मैं नहीं जानता कि कितने अस्पृश्य इस झूंठ को पचाने के लिए तैयार होंगे। पंरतु, जैसा कि नाजियों ने सिद्ध किया है, यदि झूंठ बड़ा झूंठ है, तो उसे तब तक लगातार उगलते रहो, जब तक कि लोग उसे सत्य न मानने लगें। इसलिए मेरे लिए यह आवश्यक हो गया है कि मैं अस्पृश्य के आंदोलन में और अस्पृश्यों को बरगलाने वाले और उन्हें लुभाने वाले प्रचार में श्री गांधी द्वारा खेले गए नाटक का पर्दाफाश करूं।

II

श्री गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका की परतं उघाड़ते समय पहले इसी बात पर विचार करना है कि श्री गांधी ने सबसे पहले यह कब अनुभव किया कि अस्पृश्यता पाप है। इस विषय में हमारे पास सीधे श्री गांधी का ही साक्ष्य हैं। सप्रेस्ड क्लासेज काफ्रेंस का, जो अहमदाबाद में 14 व 15 अप्रैल 1921 को हुई थी, सभापतित्व करते हुए श्री गांधी ने कहा था :–

"जब मैं मुश्किल से 12 वर्ष का था, तभी यह विचार मेरे मन में पैदा हुआ था। एक झाडू लगाने वाला जिसका नाम ऊखा था, जो अस्पृश्य था, वह मेरे घर की टट्टी साफ किया करता था। अक्सर मैं अपनी मां से पूछ बैठता था कि उसे छूना क्यों ठीक नहीं है और मुझे उसे छूने से क्यों रोका जाता है। यदि कभी अचानक मैं ऊखा से छू जाता तो मुझे अपने शरीर को शुद्ध करने और प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता था और यद्यपि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था, परंतु मुस्कराते हुए यह विरोध भी प्रकट कर दिया करता था कि अस्पृश्यता को धर्म की कहीं स्वीकृति नहीं मिली हुई है। मैं बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और आज्ञाकारी लड़का था और माता–पिता की आज्ञा का पालन दृढ़ता से करता था। अक्सर मैं इस विषय पर उनसे वाद–विवाद कर बैठता था। मैंने अपनी मां से कह दिया था कि शरीर से ऊखा के छूने से कोई पाप नहीं लग जाता और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है।

"मैं स्कूल में अक्सर अस्पृश्यों से छू जाता था और मैं उस सच्चाई को अपने माता–पिता से कभी नहीं छिपाता था। मेरी मां मुझे कहा करती थी कि अपवित्र से छू जाने पर अपने को शुद्ध करो और पास से गुजरते हुए मुसलमान को स्पर्श करके अशुद्धता मुक्त हो जाओ और मैं अक्सर अपनी मां का आदर करते हुए उनकी बात मान लेता था, परंतु मैंने उस बात पर कभी विश्वास नहीं किया कि यह धार्मिक रूप से आवश्यक है। कुछ समय के बाद हम लोग पोरबंदर चले गए जहां मैं पहले संस्कृत के संपर्क में आया। उस समय तक मुझे अंग्रेजी स्कूल में नही रखा गया था और मुझे तथा मेरे भाई को एक ब्राह्मण के शिष्यत्व में रखा गया, जिसने हमें राम रक्षा और विष्णु पुंजर की शिक्षा दी। "जले विष्णु", "स्थले विष्णु" जो मेरे मुख्य पाठ थे मेरी स्मृति से दूर नहीं हो सके। पास में ही एक गृहस्थ बुढ़िया रहती थी। मैं उस समय बहुत डरपोक था, जहां कहीं अचानक प्रकाश होता और बुझते देखता, तो मुझे भूत–प्रेतों जैसा प्रतीत होता। वृद्धा मां मुझे डरते हुए देख कर ढाढ़स बंधाती और मुझे सलाह देती कि डर जाने पर "राम रक्षा" का पाठ करने लगूं जिससे बुरी आत्माएं भाग जाएं। मैं उसका पाठ करते समय उसका अच्छा प्रभाव समझता था। तब मुझे यह विश्वास नहीं था कि "राम रक्षा" में कही कोई ऐसी बात है जिसमें अस्पृश्यों को छू जाना पाप समझा गया हो। तब मैं उसका अर्थ नहीं समझता था अथवा बहुत कम अर्थ जानता था। परंतु मुझे विश्वास था कि "राम रक्षा" से भूत–प्रेतों से उत्पन्न सभी प्रकार के भय नष्ट हो सकते हैं, परंतु इस बात की आशंका नहीं थी कि अस्पृश्यों को छू लेने में कोई भय हो सकता है।

हमारे परिवार में रामायण का पाठ नियमित रूप से किया जाता था। एक ब्राह्मण जिसका नाम लद्धा महाराज था, यह पाठ किया करता था। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था और उसे विश्वास था कि रामायण का लगातार पाठ करते रहने से उसका कुष्ठ दूर हो जाएगा और वास्तव में वह रोगमुक्त हो गया। मैं अपने आप में सोचता था कि आज अस्पृश्य कहा जाने वाला रामायण में कैसे अपनी नाव में बिठा कर राम को गंगा पार कराता है। आज यह कल्पना में नहीं आता कि कोई मानव इसलिए अस्पृश्य माना जाए कि उसकी आत्मा दूषित है। वास्तव में जैसाकि हम ईश्वर को तमात पापों से शुद्ध करने वाला कहते हैं, इससे स्पष्ट है कि हिंदू धर्म में यह मानना पाप है कि कोई जन्म से दूषित अथवा अस्पृश्य है। इसीलिए मैं हमेशा से इसे पाप कहता रहा हूं। मैं इस बात का ढोंग नहीं करता कि बारह वर्ष की अवस्था में यह बात मेरे दिल में बैठ गई थीं परंतु मैं जोर देकर कहता हूं कि मैंने उस समय भी अस्पृश्यता को पाप समझा था। मैंने वैष्णवों और पाखंडी हिंदुओं को जानकारी के लिए वह कहानी बतलाई है।"

निस्सन्देह यह जानकारी बड़ी दिलचस्प है कि घोर अंधविश्वास के युग में श्री गांधी को यह आभास हुआ कि अस्पृश्यता पाप है और वह भी बारह वर्ष की अवस्था में। कुछ भी हो आज अस्पृश्य यह जानना चाहते हैं कि उस बुराई को श्री गांधी ने दूर करने के लिए क्या किया? मैं इस संबंध में मद्रास के प्रकाशक टैगोर एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित श्री गांधी के जीवन संबंधी एक टिप्पण का उद्धरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे उन्होंने 1922 में यंग इंडिया नामक अपने खंड में प्रकाशित किया था, जिसमें यह दर्शाया गया है कि जब से श्री गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखा उनके कौन–कौन से मुख्य कार्य रहे हैं। टिप्पण में कहा गया है :

"मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। वह जाति के बनिया थे। वह पोरबंदर राजकोट काठियावाड़ तथा अन्य राज्यों के दीवान करमचंद गांधी के पुत्र थे। उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में शिक्षा मिली। उसके बाद लंदन और इनर टैम्पुल में शिक्षा मिली। लंदन से वापसी के बाद वह बम्बई हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए दाखिल हुए। लीगल मिशन में वह नैटाल और तत्पश्चात् ट्रांसवाल गए। नैटाल सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए प्रवेश लिया और वहीं पर बसने का इरादा किया। वहां 1894 में उन्होंने नैटाल इंडियन कांग्रेस की नींव डाली। वर्ष 1895 में भारत वापस आए। उन्होंने नैटाल और ट्रांसवाल में भारतीयों के पक्ष में भारत में आंदोलन चलाया। डरबन वापस गए। आंग्ल बेयर युद्ध 1899 में इंडियन एंबुलैंस कोर का नेतृत्व किया। वर्ष 1909 में भारत वापस आए और स्वास्थ्य लाभ किया। मिस्टर चेम्बरलेन के समक्ष दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों की कठिनाइयों के विषय में विचार प्रस्तुत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए पुनः दक्षिण अफ्रीका वापस गए। ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की नींव डाली और उनके आनरेरी सेक्रेटरी और मुख्य कानूनी सलाहकार बने। वर्ष 1903 में इंडियन ओपिनियन की नींव डाली। 1906 में स्ट्रेचर नियरर कोर का नेतृत्व किया। ऐंटी ऐशियाटिक ऐक्ट 1906 के विरोध में आंदोलन किया। अधिनियम वापसी के बारे में प्रतिनिधिमंडल में इंगलैंढ गए। एक्ट के विरोध में पैंसिव रेसिस्टेंट मूवमेंट चलाया। जनरल स्मट और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ। बाद में स्पट ने समझौते को नामंजूर कर दिया और पैसिव रेसिस्टेंट को पुनः लागू किया। कानून तोड़ने के अपराध में, उन्हें दो बार बंदी बनाया गया। वर्ष 1909 में पनुः इंगलैंड में ब्रिटिश जनता के समक्ष भारतीय पक्ष प्रस्तुत करने गए। गोखले ने 1911 में प्राविजनल सेटेलमेंट के लिए दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा की। सरकार द्वारा वर्ष 1911 के समझौता के न मानने पर पैसिव रेसिस्टेंट मूवमेंट को पुनः चालू किया। अंतिम समझौता 1914 में हुआ। इंगलैड गए 1914 में इंडियन एम्बुलैंस कोर की स्थापना की।"

उनके जीवन संबंधी इस टिप्पण से स्पष्ट हो जाता है कि श्री गांधी ने अपना सार्वजनिक जीवन 1894 से आरम्भ किया जब उन्होंने नैटाल इंडियन कांग्रेस की नींव डाली थी। वर्ष 1894 से 1915 तक वह दक्षिण अफ्रीका में रहे। उस अवधि में उन्होंने अस्पृश्यों के विषय में कभी सोचा तक नहीं और ऊखा की भी कोई खैरखबर नहीं ली।

श्री गांधी 1915 में भारत वापस आए। क्या तब उन्होंने अस्पृश्यों की कोई चिंता की? मैं उपरोक्त जीवन

वृत्त से ही निम्नलिखित अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ:–

"1915 में भारत वापस आए। अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण के श्रमिकों की समस्या हल करने के लिए भाग लिया। खेड़ा अकाल और 1919 में अहमदाबाद में मिल हड़ताल में भाग लिया। रोलट एक्ट और 1919 के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, जब वह दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में ही कोसी में गिरफ्तार कर लिए गए और बम्बई वापस भेज दिए गए। पंजाब में 1919 में अशांति और अधिकारियों द्वारा अत्याचार हुए। पंजाब में हुए अत्याचारों की जांच करने के लिए कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाए गए, मुखालफत आंदोलन में भाग लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया, मई 1921 में लार्ड रीडिंग से विचार विमर्श किया। 1921 में कांग्रेस अधिवेशन के मुख्य कार्य संचालक बनाए गए। फरवरी 1922 में चौरी चौरा आंदोलन के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया, मार्च 10, 1922 को गिरफ्तार हुए और 6 वर्ष की साधारण कैद हुई।"

यह टिप्पण सही प्रतीत नहीं होती। इसमें श्री गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाएं छूट गई हैं। इसे पूरा करने के लिए निम्नांकित बातें भी जोड़ी जानी चाहिए :–

"वर्ष 1919 में ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अफगान आक्रमण का स्वागत करने की तैयारी की घोषणा की, बारदौली कार्यक्रम को रचनात्मक रूप देने के लिए 1920 में देश के समक्ष प्रस्ताव लाए, 1921 में तिलक स्वराज्य फंड आरंभ किया और एक करोड़ 25 लाख रूपये देश के लिए स्वराज्य की लड़ाई में उपयोग करने के लिए एकत्र किए।"

इन पांच वर्षों में गांधी जी कांग्रेस को ऐसे सैनिक संगठन अर्थात् एक युद्ध तंत्र का रूप देने में पूर्णतया तल्लीन थे जो साम्राज्यवाद की जड़े हिला दे। मुसलमान काग्रेस में शामिल हो गये क्योंकि उन्होंने खिलाफत आंदोलन का पक्ष लिया और हिंदुओं द्वारा खिलाफत आंदोलन का पूरा समर्थन किए जाने के लिए भरसक प्रयत्न किया।

उस अवधि में श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया? निस्संदेह कांग्रेसी उसके उत्तर में बारदोली आंदोलन का उल्लेख करेंगे। यह सच है कि बारदौली कार्यक्रम में अस्पृश्योत्थान भी एक मद थी। परंतु जिज्ञासा की बात यह है कि उस मद का क्या हुआ? संक्षेप में बात यह है कि बारदौली आंदोलन में अस्पृश्यता निवारण की कोई योजना नहीं थी। वह कार्यक्रम उन्नति और सुधार का कार्यक्रम था, जो डिजरैली के शब्दों में प्राचीन संस्थाओं एवं आधुनिक प्रगति के सम्मिश्रण जैसा कार्यक्रम था। कार्यक्रम में अस्पृश्यता समस्या को मान्यता दी गई और योजना बनाई गई कि अस्पृश्यों के लिए अलग कुएं और अलग स्कूलों का प्रबंध किया जाए। अस्पृश्यों की उन्नति की योजना बनाने के लिए, जो उपसमिति बनाई गई, उसमें वे लोग थे, जिन्हें अस्पृश्यों के हितों में कोई रूचि नहीं थी और उनमें से कुछ तो अस्पृश्यों को देखकर नाक भौं चढ़ाते थे। स्वामी श्रद्धानंद ही उस उप–समिति में ऐसे व्यक्ति थे, जो उनकी पीड़ा से अभिभूत थे। वह वास्तव में मौलिक रूप से अस्पृश्यों के लिए कुछ करना चाहते थे परन्तु उन्हें भी विवश होकर त्यागपत्र देना पड़ा। उस समिति का कार्यक्रम चलाने के लिए मुटठी भर धनराशि दी गई थी। समिति की एक बैठक भी नहीं हुई और वह भंग कर दी गई। अस्पृश्योत्थान का कार्य हिंदू महासभा को सौंपने की घोषणा की गई। श्री गांधी ने बारदौली कार्यक्रम की उस योजना को कार्यान्वित करने में कोई रूचि नहीं दिखाई, जो अस्पृश्यों से सबंधित थी। स्वामी श्रद्धानंद का पक्ष लेने के बजाए, उन्होंने उन प्रतिक्रियावादी विरोधियों का पक्ष लिया, जो स्वामी श्रद्धानंद के विरूद्ध थे, यद्यपि वे जानते थे कि वे विरोधी लोग अस्पृश्यों के हितों में कुछ भी नहीं करने देना चाहते। 1921 में बारदौली कार्यक्रम के संबंध में गांधी जी ने जो किया उसके बारे में यही कुछ कहना है।

श्री गांधी ने 1922 के बाद अस्पृश्यों के लिए क्या किया? गांधीजी का जीवनवृत्त जो पहले उद्धत किया जा चुका है 1922 में छपा था। यह आवश्यक है कि उस विवरण को परा करने के लिए निम्नांकित विवरण भी जोड़ दिया जाए:–

"वर्ष 1924 में वह जेल से रिहा किए गए। उन्होंने कांग्रेस के उन दो गुटों में समझौता कराया जो श्री गांधी की अनुपस्थिति में काउंसिल प्रवेश बनाम रचनात्मक कार्यक्रम का मामला उठा कर आपस में लड़ रहे थे। 1929 में भारतीय राजनीति का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। 1931 में लंदन में होने वाले गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए, 1932 में गिरफ्तार हो गए। शासन द्वारा घोषित सांप्रदायिक मतदान के विरूद्ध आमरण अनशन किया। 1933 में पूना पैक्ट हुआ और अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश के लिए योजना बनाई। हरिजन सेंवक संघ की स्थापना की। 1934 में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और गिरफ्तार हुए। 1943 में अनशन किया और छोड़ दिए गए। 1944 में लार्ड वावेल से पत्र व्यवहार किया और 8 अगस्त, 1942 के प्रस्ताव की व्याख्या की। 1945 में कस्तूरबा फंड चलाया।"

1924 में श्री गांधी अस्पृश्यता मिटाने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और अपने आंदोलन को प्रभावकारी बना सकते थे। परंतु श्री गांधी ने क्या किया?

कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में वर्ष 1922 से 1924 के बीच का समय काफी महत्वपूर्ण रहा है। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की योजना सितम्बर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में स्वीकार की गई थी। असहयोग आंदोलन की योजना के अनुसार पांच प्रकार से बहिष्कार करना था, जैसे विधायिका का बहिष्कार और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आदि। बुद्धिजीवी वर्ग ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था, जैसे बिपिन चंद्र पाल, चितरंजन दास, लाल लाजपत राय परंतु उनके विरोध करने पर भी प्रस्ताव पास हो गया। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर वहां भी विवाद हुआ। वहां भी वही अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। प्रस्ताव चितरजन दास द्वारा लाया गया और उसका समर्थन लाला लाजपत राय ने किया। 1921 में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 19 मार्च 1922 को श्री गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। श्री गांधी को तुरंत जेल के अंदर कर दिया गया। चितरंजन दास ने विधायिका के बहिष्कार का आंदोलन छेड़ा। वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोती लाल नेहरू और पंडित मालवीय ने उनका साथ दिया। श्री गांधी के उन अनुयाइयों द्वारा इसका विरोध किया गया जो कलकत्ता और नागपुर में असहयोग आंदोलन के विषय में पास किए प्रस्ताव में किसी प्रकार की कटौती करने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई। वर्ष 1924 में अवस्थता के कारण श्री गांधी समय से पहले ही जेल से छोड़ दिए गए।

श्री गांधी ने जेल से आकर देखा कि विधायिका के बहिष्कार के प्रश्न को लेकर कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई है। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। श्री गांधी ने अनुभव किया कि यदि यों ही खींचतान चलती रही, तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, इसलिए वह इस मतभेद की खाई को पाटना चाहते थे। कोई भी दल हार मानने को तैयार नहीं था। एक दूसरे के विरोध में बयान जारी होते थे। अंततः श्री गांधी ने दोनों पक्षों के मध्य सुलह के लिए कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे, जिन्हें दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। वे प्रस्ताव इस प्रकार के थे, जिन्हें दोनों पक्षों ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। जो कांउसिल प्रवेश के पक्षधर थे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री गांधी ने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस कार्य प्रणाली की सीमा के अंदर ही विधायिका प्रवेश करने वालों को अपने को सीमित करना चाहिए और जो प्रवेश के विरूद्ध थे, उनसे कहा कि वे विधायिका प्रवेश के विरूद्ध किए जा रहे अपने प्रचार को बंद करें। प्रवेश के विरोधियों के लिए श्री गांधी ने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस का इसके लिए नए मताधिकार का आधार बनाना चाहिए – (1) कांग्रेसी सदस्य चार आना चंदा देने के बजाए दो हजार गज सूत हाथ से कातें और हाथ से बनु वस्त्रों का प्रयोग करें। इसका उल्लंघन करने वाले अपने आप कांग्रेस की सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे। (2) पांच प्रकार के बहिष्कारों को कार्यन्वित करना, अर्थात् विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, स्कूलों एवं कालेजों का बहिष्कार और अपराधियों का बहिष्कार।

इस कार्यक्रम का पालन करने वाले कांग्रेस के पदाधिकारी होने के योग्य होंगे और जो लोग उस बहिष्कार के सिद्धांत के विश्वास नहीं करते और उन बहिष्कारों का पालन नहीं करते, वे स्वतः ही अपनी उम्मीदवारी खों बैठेंगे।

उस समय भी गांधी जी अस्पृश्यता के विरूद्ध आंदोलन छेड़ सकते थे। वह ऐसा प्रस्ताव ला सकते थे कि यदि हिंदू अपने को कांग्रेस का सदस्य बनवाना चाहते हैं, तो पहले उन्हें प्रमाण देना होगा कि वे छुआछूत नहीं मानते और अपने प्रमाण की पुष्टि में अपने घरेलू काम काज के लिए अस्पृश्य को नौकर रखे हुए है। इसके सिवाय और कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा। ऐसा प्रस्ताव बहुधा सभी हिंदुओं पर लागू करना दुष्कर नहीं हो सकता था। वास्तव में वे सवर्ण हिंदू कहे जाते हैं, और उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो एक से अधिक घरेलू नौकर रख सकते हैं। यदि श्री गांधी हिंदुओं को इस बात के लिए राजी कर सकते थे कि कांग्रेस का सदस्य होने के लिए सूत कताई आवश्यक है, तो श्री गांधी हिंदुओं को इस बात के लिए भी तैयार कर सकते थे कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए हिंदू अपने घरों में काम करने के लिए अस्पृश्य नौकर रखते। परंतु श्री गांधी ने ऐसा नहीं किया।

1924 से 1930 तक कोई काम नहीं हुआ। श्री गांधी ने उस अवधि में अस्पृश्यता निवारण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न कोई ऐसा कार्य किया जिससे अस्पृश्यों का उपकार हो। उस अवधि में श्री गांधी को अस्पृश्यों के हित में निष्क्रिय देख कर अस्पृश्यों ने एक आंदोलन चालू किया, जिसे सत्याग्रह कहते हैं। उस आंदोलन का उद्देश्य था सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का अधिकार और सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करना। महाद में चावदार तालाब सत्याग्रह, सार्वजनिक स्थानों से अस्पृश्यों को पानी भरने देने के अधिकार की मांग से शुरू हुआ। बम्बई प्रेसीडेंसी के नासिक जिले में स्थित कालाराम मंदिर पर किए गए सत्याग्रह का उद्देश्य हिंदू मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश करने के अधिकार को प्राप्त करना था। इसके अतिरिक्त अन्य और छोटे मोटे सत्याग्रह हुए। वे दोनों सत्याग्रह इस विचार से मुख्य सत्याग्रह थे कि उनसे अस्पृश्यों और उनके विरोधी सवर्ण हिंदुओं का ध्यान इस पर केंद्रित हुआ। सत्याग्रहों के सारे भारत में कोलाहल मच गया। उन अस्पृश्य नर–नारियों को हिंदुओं ने अपमानित किया और उन्हें मारा–पिटा। बहुत से अस्पृश्य घायल हुए और

बहुतों को सरकार ने इस आधार पर गिरफ्तार किया कि उन्होंने शांति भंग की। वह सत्याग्रह आंदोलन पूर 6 वर्ष तक चलता रहा और 1935 में उस समय रुका, जब नासिक जिले में येवला में हुई सभा में अस्पृश्यों ने हिंदुओं द्वारा समान सामाजिक अधिकार देने से इंकार करने के परिणामस्वरूप हिंदु धर्म त्यागने का निश्चय किया। निस्संदेह वह सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस से अलग किया गया था। उन सत्याग्रहों की स्थापना अस्पृश्यों ने की थीं। अस्पृश्यों के सत्याग्रह का संचालन अस्पृश्यों के धन से होता था और अस्पृश्यों द्वारा ही उनका नेतृत्व किया जाता था। परंतु तब भी अस्पृश्यों को श्री गांधी का नैतिक समर्थन नहीं मिल सका। वास्तव में समर्थन देने का श्री गांधी को बहुत अच्छा अवसर मिला था, क्योंकि सत्याग्रह का हथियार– जिसका ध्येय स्वंय कष्ट उठा कर विरोधियों के दिल पिघलाना था – ऐसा हथियार था, जिसका अनुसरण श्री गांधी ने किया था और उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध कांग्रेस का नेतृत्व करते समय उस हथियार का प्रयोग किया था। स्वभावतः अस्पृश्यों ने सार्वजनिक कुओं और हिंदू मंदिरों में समान अधिकार पाने के लिए हिंदुओं के विरूद्ध जो सत्याग्रह छेड़ा था, उसमें उन्हें श्री गांधी के समर्थन की बड़ी आशा थी। परंतु श्री गांधी ने सत्याग्रह को कोई समर्थन नहीं दिया। उन्होंने केवल समर्थन देने से इंकार ही नहीं किया वरन् उल्टे बड़े शब्दों में उस सत्याग्रह की निंदा की।

इस संबंध में दो उनके अनोखे उपायों का उल्लेख करना ठीक होगा जिनसे मानवीय गलतियों को सुधारा जा सकता है। ऐसे उपायों का आविष्कार और उनकी सफलता का श्रेय श्री गांधी को है। पहला उपाय है, सत्याग्रह। श्री गांधी ने ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक विसंगतियों को दूर करने के विरूद्ध कई बार सत्याग्रह किया। परंतु श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए सार्वजनिक कुएं और मंदिर खोलने के लिए हिंदुओं के विरूद्ध सत्याग्रह का अस्त्र नहीं छोड़ा। आमरण अनशन श्री गांधी का दूसरा हथियार है। ऐसा कहा जाता है कि श्री गांधी ने कुल मिलाकर 21 अनशन किए थे। कुछ हिंदु मुस्लिम एकता के लिए और अधिकांश अपने आश्रम में रहने वालों द्वारा किए गए अनैतिक आचरण पर प्रायश्चित करने के संबंध में थे। एक सत्याग्रह बम्बई की सरकार के उस आदेश के विरोध में था, जिसमें बम्बई सरकार ने जेल के कैदी श्री पटवर्धन द्वारा मांग करने पर भी उसे झाड़ू लगाने का काम देने से इंकार कर दिया गया था। इन 21 अनशनों में एक भी अनशन अस्पृश्यता निवारण के लिए नहीं किया गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी सम्मेलन की कार्यवाही में 1931 में शामिल हुए। सम्मेलन भारत के स्वायत्त शासन के लिए संविधान का निर्माण करने के मूल प्रश्न पर विचार के लिए बुलाया गया था। यह सर्वसम्मति से निश्चय किया गया था कि यदि भारत को स्वायत्तशासी सरकार बनानी है, तो यह सरकार जनता की हो, जनता द्वारा शासित हो और जनता के लिए हो। सभी लोग इस बात से सहमत थे कि वास्तविक रूप से सरकार वहीं ठीक होगी जो सरकार जनता द्वारा चलाई जाए, जनता की हो और जनता के लिए हो। समस्या यह थी कि ऐसे देश में जनता द्वारा संचालित सरकार कैसे बनाई जाए। जिस देश में समुदायों में भिन्नता हो, बहुसंख्यक हों, जहां के लोगों में सामाजिक विषमता नहीं, बल्कि सामाजिक बैर भाव भी हो, ऐसी परिस्थितियों में यह आम सहमति थी कि भारत में जनता द्वारा संचालित सरकार की संभावना तब तक नहीं हो सकती, जब तक विधायिका और कार्यपालिका में संप्रदायों के आधार पर प्रतिनिधित्व न हो।

उस सम्मेलन में अस्पृश्यों की समस्या जटिल समस्या बन गई। इसे नई दिशा का रूप दिया गया। प्रश्न यह था कि क्या अस्पृश्यों को पहले की भांति हिंदुओं की दया पर छोड़ दिया जाए अथवा उन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएं। हिंदुओं की मर्जी पर छोड़ देने के तर्क का अस्पृश्यों ने पूरी ताकत से विरोध किया और वैसे ही संरक्षण देने की मांग की जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को दिए गए थे। अस्पृश्यों की वह मांग सभी को स्वीकार्य थी, क्योंकि यह न्यायोचित और तर्कसंगत थी। उनका तर्क था कि आचरण का जो भेदभाव हिंदू और मुसलमानों में हैं, हिंदु और सिक्खों में है, हिंदु और ईसाइयों में है, वही हिंदूओं और अस्पृश्यों के बीच भी है। वह भेदभाव बहुत विस्तृत और गहन है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का मतभेद धार्मिक एवं सामाजिक दोनों है। हिंदुओं और मुसलमानों के मतभेद से मुसलमानों की तबाही नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों का संबंध स्वामी और सेवक का नहीं है, केवल विदेशी समझने की पृथकतावादी भावना है। जबकि हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच का मतभेद अस्पृश्यों की राजनीतिक तबाही का कारण बन सकता है, क्योंकि उन दोनों का संबंध स्वामी और सेवक का है। अस्पृश्यों का तर्क है कि अस्पृश्यों और हिंदूओं के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए सदियों से प्रयत्न किए जा रहे हैं, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी और आगे भी कोई सफलता मिलने की आशा नहीं है। जब बहुसंख्यक हिंदुओं को सत्ता का हस्तारण किया जा रहा है, इसलिए अस्पृश्यों को भी वही राजनीतिक संरक्षण मिलने चाहिए, जो मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं।

उस समय श्री गांधी को अस्पृश्यों के प्रति सहानुभूति दिखाने का अवसर मिला था। वह अस्पृश्यों की मांगों का समर्थन करके उन्हें हिंदुओं के अत्याचारों और दमन का सामना करने के लिए सक्षम बनाते। परंतु श्री गांधी ने उनके प्रति सहानुभूति तो क्या दिखाई, उल्टे पूरी ताकत से उनकी मांगों का विरोध करने के लिए मुसलमानों से हाथ मिलाया, परंतु मुसलमान को फोड़ने में असफल होते देख कर, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह निर्णय वापस लेने के लिए विवश करने के लिए आमरण अनशन किया, जिसमें मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के समान अस्पृश्यों को राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। जब श्री गांधी अनशन में असफल रहे, तो उन्होंने अस्पृश्यों के साथ एक समझौता किया जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों पर पानी फेर दिया गया।

वर्ष 1933 में गांधी जी ने दो आंदोलन चलाये। पहला आंदोलन मंदिर प्रवेश का था। उन्होंने उस आंदोलन को दो तरीकों से चलाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली। पहला था अस्पृश्यों के लिए गुरूवयूर मंदिर खोलना। दूसरा था केंद्रीय विधानमंडल में श्री रंगा अय्यर द्वारा मंदिर प्रवेश विधेयक पास कराना। श्री गांधी ने कहा था कि यदि निश्चित तारीख एक गुंरूवयूर मंदिर अस्पृश्यों के लिए नहीं खोला गया, तो वह आमरण अनशन करेंगे। परंतु गुरूवयूर मंदिर अब तक अस्पृश्यों के लिए बंद है। श्री गांधी का आमरण अनशन का वचन धरा रह गया। आश्चर्य की बात है कि आज तेरह वर्ष बीत गए, परंतु श्री गांधी ने अस्पृश्यों के लिए उस मंदिर को खुलवाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वास्तव में श्री गांधी ने गवर्नर जनरल को मंदिर प्रवेश विधेयक को पेश करने की स्वीकृति देने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए। केंद्रीय सभा में कांग्रेस पार्टी को जिस विधेयक का समर्थन करने से इंकार कर दिया कि इस विधेयक से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और अगले चुनाव में हिंदू कांग्रेस को इसका मजा चखाने के लिए चुनाव में हरा देंगे। उस विधेयक को कांग्रेस द्वारा विफल कर देने पर श्री रंगा अय्यर को बड़ी निराशा हुई। श्री गांधी ने इसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की खुल कर तारीफ की।

दूसरा आंदोलन जो श्री गांधी ने 1933 में शुरू किया, वह था हरिजन सेवक संघ की स्थापना का। सारे भारत में उस संस्था की शाखाओं का जाल बिछाया गया। उस संघ की स्थापना करने के तीन उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था यह बताना कि हिंदू अस्पृश्यों के प्रति बहुत उदार हैं और उनके उत्थान के लिए धन दे सकते हैं। दूसरा उद्देश्य था दैनिक जीवन में अस्पृश्यों की सेवा करना। तीसरा उद्देश्य था अस्पृश्यों के मस्तिष्क में उन हिंदुओं के प्रति विश्वास जमाना जो राजनीतिक मामलों में उनसे दुराव की नीति अपनाते थे। उन तीनों में से भी कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। पहले झटके में ही हिंदुओं ने संघ के लिए आठ लाख रूपयों का चंदा एकत्र किया, जो उसकी तुलना में नहीं के बराबर था जो उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य के लिए करोड़ों रूपये के रूप में इकट्ठा किया था। इसके बाद हिंदुओं ने अपना हाथ खींच लिया। अब संघ सरकारी अनुदान पर निर्भर करता है अथवा श्री गांधी हस्ताक्षरों को बेच कर धनोपार्जन कर अथवा कुछ धनवानों और उन वणिकों की दानशीलता पर निर्भर कर रहा है, जो अस्पृश्यों से प्रेम होने के कारण नहीं, वरन् वे यह सोच कर कि ऐसा करके श्री गांधी को प्रसन्न रखना उनके लिए लाभदायक है। संघ की शाखाएं साल दर साल बंद कर दी जाती रहीं। संघ इतनी तेजी से सिकुड़ रहा है कि शीघ्र ही वह शाखारहित केंद्र रह जाएगा। संघ के प्रति हिंदुओं की दिलचस्पी नहीं रह गई है, वरन् इससे श्री गांधी के अफसोसनाक कार्यकलाप की झलक मिलती है। संघ उन अस्पृश्यों के बीच पैर जमाने और उनका सहयोग प्राप्त करने में असफल रहा, जिनके हितों की उससे आशा थी। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। संघ का कार्य बहुत उद्देश्यहीन है। संघ से कोई प्रभावित न हुआ। संघ उन सभी आवश्यक उद्दे‍श्यों की उपेक्षा करता है जो अस्पृश्यों की उन्नति में सहायक होते हैं और आवश्यक हैं। संघ अस्पृश्यों को अपने प्रबंध में कठोरता से अलग रखता है। अस्पृश्य उनके लिए भिखारी से अधिक कुछ नहीं हैं और वे उनकी खैरात ही पा सकते हैं। जिसका परिणाम यह है कि अस्पृश्य संघ को पराया समझते हैं और उससे उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, जिसे हिंदुओं ने निपट स्वार्थ भावना से स्थापित किया है। यहां श्री गांधी को पुनः अवसर मिला था कि वह हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच सेतु बना पाते। वह संघ गतिविधियों में अस्पृश्यों को शामिल करके उस संस्था को उसके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक मजबूत और शक्तिशाली संस्था बना सकते थे। परंतु श्री गांधी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने संघ को क्षीण होने दिया। संघ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और श्री गांधी के जीवन काल में ही इसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा।

यदि श्री गांधी के अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन तथा उनकी कथनी और करनी का यह सर्वेक्षण पाठक को भ्रमित कर दे और पाठक अपना भ्रम दूर करने के लिए निम्नांकित मुद्दों पर प्रश्न करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं :–

(1) 1921 में श्री गांधी ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए एक करोड़ पैंतीस लाख रूपये एकत्र किए थे। श्री गांधी ने जोर देकर कहा कि जब तक अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो जाता, स्वराज्य प्राप्त करना संभव नहीं है। तब श्री गांधी ने अस्पृश्यों के हित में 43,000 रूपये की मुट्ठी भर धनराशि देने पर कोई आपत्ति क्यों नहीं की?

(2) 1922 में रचनात्मक कार्य की बारदोली योजना

की रूपरेखा तैयार की गई। उसकी विस्तृत जानकारी के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने कोई कार्य नहीं किया और भंग कर दी गई और बारदोली कार्यक्रम में अस्पृश्योत्थान की योजना निकाल दी गई। समिति के खर्चों को पूरा करने के लिए केवल 500 रूपये दिए गए थे। तब गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की इस कंजूसी और सौतेले व्यवहार के विरूद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई? गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद का समर्थन क्यों नहीं किया, जो समिति को निश्चित की गई धनराशि के संबंध में कांग्रेस कार्यसमिति से लड़ रहे थे। श्री गांधी ने समिति भंग होने का विरोध क्यों नहीं किया? श्री गांधी ने दूसरी समिति क्यों गठित नहीं की? उन्होंने अस्पृश्यों के लिए कार्यक्रम को महत्वहीन कामों की तरह तिलांजलि देने दी।

(3) गांधी जी ने स्वराज्य प्राप्ति के आंदोलन की पांच शर्तें प्रमाणस्वरूप आवश्यक बताई थीं : (एक) हिंदू मुस्लिम एकता, (दो) अस्पृश्यता निवारण, (तीन) सार्वभौमिक रूप से सूत कातना और खादी का ही प्रयोग करना, (चार) पूर्ण अहिंसा, और (पांच) पूर्ण असहयोग। श्री गांधी ने केवल इन शर्तों का निर्धारण ही नहीं किया था, वरन् उन्होंने देशवासियों से कहा था कि इन शर्तों को पूरा किए बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता। 1922 में श्री गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनशन किया था। 1924 में उन्होंने कांग्रेस सदस्यता प्राप्त करने के लिए सूत कातना और खादी का इस्तेमाल आवश्यक कर दिया था। तब श्री गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त करने के लिए 1924 में अथवा उसके बाद किसी भी समय उन्होंने अस्पृश्यता न मानने की शर्त को इसमें शामिल क्यों नहीं किया?

(4) श्री गांधी ने अपने हित के उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक बार अनशन किया। गांधी ने अस्पृश्यता के लिए एक बार भी अनशन क्यों नहीं किया?

(5) श्री गांधी ने शासन में हो रही गलतियों को सुधारने के लिए और स्वराज्य प्राप्ति के लिए सत्याग्रह की खोज की और ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध उसका प्रयोग किया। तब श्री गांधी ने अस्पृश्यता के लिए कुओं से पानी भर देने, मंदिर प्रवेश और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उनके जाने के अधिकार के लिए हिंदुओं के विरूद्ध एक बार भी सत्याग्रह या अनशन क्यों नहीं किया?

(6) श्री गांधी के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए अस्पृश्यों ने 1929 में कुओं से पानी लेने और प्रवेश के संबंध में हिंदुओं के विरूद्ध सत्याग्रह किया तब श्री गांधी ने अस्पृश्यों के सत्याग्रह की निंदा क्यों की?

(7) गांधी जी ने घोषणा की थी कि यदि जमोरिन द्वारा गुरुवयूर मंदिर अस्पृश्यों के लिए नहीं खोला जाएगा तो वह अनशन करेंगे। परंतु जब मंदिर अस्पृश्यों के लिए नहीं खोला गया तो गांधी जी ने अनशन क्यों नहीं किया?

(8) गांधी जी ने 1932 में ब्रिटिश सरकार को धमकी दी थी कि यदि गवर्नर जनरल ने कांग्रेस की ओर से श्री रंगा अय्यर को मंदिर प्रवेश विधेयक केन्द्रीय विधानमंडल में पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। चूंकि केंद्रीय सभा के लिए नए चुनाव कराने की घोषणा की गई, कांग्रेस ने श्री रंगा अय्यर के विधेयक का समर्थन वापस से लिया और श्री रंगा अय्यर को इसे यों ही छोड़ना पड़ा। यदि श्री गांधी वास्तव में मंदिर–प्रवेश के पक्ष में थे तो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन क्यों किया? अस्पृश्यों के लिए मंदिर प्रवेश अथवा चुनावों में कांग्रेस की विजय इन दोनों में कौन अधिक महत्वपूर्ण था?

(9) श्री गांधी जानते हैं कि अस्पृश्यों के सामने कठिनाई यह नहीं है कि उनको नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अस्पृश्यों की कठिनाई हिंदुओं के इस षड्‌यंत्र में निहित है कि उन्हें धमकी दी जाती है कि यदि अस्पृश्यों ने अपने अधिकारों का उपयोग किया, तो उन्हें इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेगे। अस्पृश्यों की सही मायनों में मदद करने का मार्ग यही है कि उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई संस्था हो, जिसका दायित्व उन हिंदुओं के विरूद्ध अभियोग चलाना हो जो अस्पृश्यों पर अत्याचार करने, उनका सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार करने और उन्हें नागरिक अधिकारों का उपयोग करने से रोकने के दोषी पाए जाएं। श्री गांधी ने इसे हरिजन सेवक संघ के एक उद्‌देश्य के रूप में क्यों नहीं शामिल किया?

(10) श्री गांधी के राजनीतिक मंच पर आने से पहले अस्पृश्यों का उत्थान करने के लिए कुछ सर्वण हिंदुओं ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी बनाई थी। उस संस्था को चलाने के लिए हिंदुओं ने चंदा इकट्ठा किया था। उस सोसायटी का कार्य–संचालन संयुक्त बोर्डों, जिनमें हिंदू और अस्पृश्य दोनों होते थे, द्वारा किया जाता था। तब भी गांधी ने हरिजन सेवक संघ के प्रबंध से अस्पृश्यों को क्यों अलग रखा?

(11) यदि श्री गांधी अस्पृश्यों के सच्चे मित्र हैं, तो वे अस्पृश्यों को अपनी सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम साधन जुटाने के लिए राजनीतिक संरक्षण के विषय में तय करने का प्रश्न करने का प्रश्न उन्हीं पर क्यों नहीं छोड़ देते? गांधी जी इस हद तक क्यों चले गए कि उन्होंने अस्पृश्यों को मझधार में छोड़ देने के लिए मुसलमानों से समझौता कर लिया। श्री गांधी ने अस्पृश्यों को सांप्रदायिक फैसले के लाभों से वंचित करने के लिए आमरण अनशन की घोषणा क्यों की?

(12) पूना पैक्ट स्वीकार हो जाने के बाद श्री गांधी ने कांग्रेस से यह कह कर अस्पृश्यों को विश्वास में क्यों नहीं लिया कि कांग्रेस अस्पृश्यों के लिए सुरक्षित सीटों पर हिंदुओं के कठपुतली अस्पृश्यों को चुनाव मैदान में न उतारे, वरन अस्पृश्यों को स्वयं अपने हितचिंतक उम्मीदवारों को खड़ा करने दें?

(13) पूना पैक्ट पर स्वीकृति के पश्चात गांधी जी मलेमानुष की तरह समझौते पर क्यों नहीं कायम रहे और कांग्रेस मंत्रिमंडल में अस्पृश्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कांग्रेस हाई कमान को क्यों निर्देश नहीं दिए?

(14) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. खरे के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के सदस्य, अग्निभोज के शामिल करने को भी गांधी ने क्यों नहीं अपनी स्वीकृति प्रदान की, जबकि श्री अग्निभोज मंत्री होने की सारी योग्यताओं को पूरा करते थे? क्या श्री गांधी कह सकते हैं कि वह अस्पृश्यों में उत्कट महत्वकांक्षाएं पैदा करने के विरूद्ध हैं?

साभार – बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय–16
पृष्ठ सं. 245 से 279
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

शेष भाग अगले अंक में.........................

अठारहवीं पहेली – मनु का पागलपन या मिश्रित जातियों की उत्पत्ति की ब्राह्मणवादी व्यवस्था

किसी विचार गोष्ठी के लिए यदि कोई मनुस्मृति का अध्ययन करेगा तो वह पाएगा कि उसने जातियों की कई श्रेणियां की हैं। उनके नाम हैं : 1. आर्य जातियां, 2. अनार्य जातियां, 3. व्रात्य जातियां, 4. पतित जातियां और 5. संकर जातियां।

आर्य जातियों का अर्थ है चार वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरे शब्दों में मनु चार वर्णों को आर्यवाद का सार मानते हैं। अनार्य का अर्थ है वे जातियां जो चातुर्वर्ण्य को स्वीकार नहीं करती हैं जिन्हें वह दस्यु कहता है अर्थात जिन्हें वह अनार्य जाति मानता है। व्रात्य जातियां वे हैं, जो कभी वर्णों को मानती थीं परन्तु बाद में जिन्होंने इसके विरूद्ध विद्रोह कर दिया।

मनु द्वारा वर्णित व्रात्य जातियां निम्न प्रकार हैं :

व्रात्य ब्राह्मण	व्रात्य क्षत्रिय	व्रात्य वैश्य
1. भृग्ग कंटक	1. झल्ल	1. सुधन्वन
2. अवन्य	2. मल्ल	2. आचार्य
3. वाताधान	3. लच्छवी	3. करूष
4. पुष्पदा	4. नट	4. विजनमान

पतित जातियों में मनु ने उन्हें सम्मिलित किया है जिन क्षत्रियों ने आर्य अनुष्ठान त्याग दिए थे जो शूद्र बन गए थे और ब्राह्मण पुरोहित जिनके यहां नहीं आते थे। मनु ने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है:

1. पौंड्रक 2. चोल 3. द्रविड़ 4. काम्बोज 5. यवन 6. शक 7. पारद 8. पल्लव 9. चीन 10. किरात 11. दर्द

संकर जातियां मनु के अनुसार वे हैं, जिनके माता–पिता का वर्ण भिन्न था।

इन संकर जातियों की भी कई श्रेणियां हैं। विभिन्न आर्यवर्णों की संतानों का भी विभाजन दो श्रेणियों में किया गया है, (क) अनुलोम, (ख) प्रतिलोम 2. अनुलोम और प्रतिलोम से उत्पन्न जातियां, 3. अनार्यों और आर्यों की अनुलोम और प्रतिलोम संतानें। मनु ने जिन जातियों को संकर जातियों की सूची में रखा है, उनकी विभिन्न श्रेणियां निम्न प्रकार से हैं :

1. मिश्रित आर्य जातियों की संतानें

पिता	माता	जाति का नाम	अनुलोम अथवा प्रतिलोम
ब्राह्मण	क्षत्रिय	?	
ब्राह्मण	वैश्य	अम्बष्ट	अनुलोम
ब्राह्मण	शूद्र	निषाद (पाराशव)	अनुलोम
क्षत्रिय	ब्राह्मण	सूत	प्रतिलोम
क्षत्रिय	वैश्य	?	
क्षत्रिय	शूद्र	उग्र	अनुलोम
वैश्य	ब्राह्मण	वैदेहक	प्रतिलोम
वैश्य	क्षत्रिय	मागध	प्रतिलोम
वैश्य	शूद्र	करण	अनुलोम
शूद्र	ब्राह्मण	चाण्डाल	प्रतिलोम
शूद्र	क्षत्रिय	क्षत्रिय	प्रतिलोम
शूद्र	वैश्य	आयोगव	प्रतिलोम

2. आर्य अनुलोम प्रतिलोम से उत्पन्न जातियां

	पिता	माता	जाति का नाम
1.	ब्राह्मण	उग्र	अव्रत्य
2.	ब्राह्मण	अम्बष्ट	आभीर
3.	ब्राह्मण	आभीर	धिगवन
4.	शूद्र	निषाद	कुकुतक

3. अनुलोम और प्रतिलोम के बीच मिश्रित विवाह जनित जातियां

	पिता	माता	जाति का नाम
1.	वैदेह	आयोगव	मैत्रेयक
2.	निषाद	आयोगव	मार्गव (दास) कैवर्त्त
3.	निषाद	वैदेह	कारवर
4.	वैदेहक	अम्बष्ट	वेन
5.	वैदेहक	कारवर	आन्ध्र
6.	वैदेहक	निषाद	मेद
7.	चाण्डाल	वैदेह	पाण्डुसोपाक
8.	निषाद	वैदेह	अहिंदक
9.	चाण्डाल	पुक्कस	श्वपाक (सोपाक)
10.	चाण्डाल	निषाद	अन्त्यवासिन
11.	क्षत्रिय	उग्र	श्वपाक

संकर जातियों की मनु की सूची में परवर्ती स्मृतिकारों ने वृद्धि की है। इनमें उशनस स्मृति, बौधायन स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और सूत संहिता के रचियता सम्मिलित हैं।

स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और सूत संहिता के रचियता सम्मिलित हैं।

उशनस स्मृति के नए इस प्रकार हैं :

संकर जाति का नाम	पिता की जाति	माता की जाति
1. पुलक्ष	शूद्र	क्षत्रिय
2. येकज	पुलक्ष	वैश्य
3. चर्मकारक	आयोगव	ब्राह्मण
4. वेनुक	सूत	ब्राह्मण

बौधायन स्मृति में निम्नलिखित नाम जोड़े गए:

संकर जाति का नाम	पिता की जाति	माता की जाति
1. क्षत्रिय	क्षत्रिय	वैश्य
2. ब्राह्मण	ब्राह्मण	क्षत्रिय
3. वेन	वैदेहक	अम्बष्ट
4. श्वपाक	उग्र	क्षत्रिय

मनु की सूची में वशिष्ठ स्मृति में एक नाम जोड़ा गया है

संकर जाति का नाम	पिता की जाति	माता की जाति
वेन	शूद्र	क्षत्रिय

मनु की सूची में याज्ञवल्क्य स्मृति में दो नाम जोड़े गए हैं:

संकर जाति का नाम	पिता की जाति	माता की जाति
1. मुर्धवसिक	ब्राह्मण	क्षत्रिय
2. महिष्य	क्षत्रिय	वैश्य

सूत संहिता के रचनाकार की बड़ी वृहद सूची हैं। उसमें तरेसठ जातियां हैं।

संकर जाति का नाम	पिता की जाति	माता की जाति
1. अम्बष्ट	क्षत्रिय	वैश्य
2. उर्ध्वनापित	ब्राह्मण	वैश्य
3. कटकर	वैश्य	शूद्र
4. कुंभकार	ब्राह्मण	वैश्य
5. कुंड	ब्राह्मण	विवाहित ब्राह्मण
6. गोलक	ब्राह्मण	विधुर ब्राह्मण
7. चक्री	शूद्र	वैश्य
8. दौसन्तया	क्षत्रिय	शूद्र
9. दौसन्ती	क्षत्रिय	शूद्र
10. पटट्नशाली	शूद्र	वैश्य
11. पुलिन्द	वैश्य	क्षत्रिय
12. बह्यादस	शूद्र	ब्राह्मण
13. भोज	वैश्य	क्षत्रिय
14. महिकार	वैश्य	वैश्य
15. मानविक	शूद्र	शूद्र
16. म्लेच्छ	वैश्य	क्षत्रिय
17. शालिका	वैश्य	क्षत्रिय
18. शौंडिक	ब्राह्मण	शूद्र
19. सुलिखा	ब्राह्मण	शूद्र
20. सापर्ण	ब्राह्मण	क्षत्रिय
21. आग्नेयनर्तक	अम्बष्ट	अम्बष्ट
22. अपितर	ब्राह्मण	दौसन्ती
23. आश्रमक	दंतकेवल	शूद्र
24. उदबंध	सनक	क्षत्रिय
25. करण	नट	क्षत्रिय
26. कर्मा	करण	क्षत्रिय
27. कर्मकार	रेणुका	क्षत्रिय
28. करमर	माहिष्य	करण
29. कुक्कुण्ड	मागध	शूद्र
30. गुहक	श्वपाच	ब्राह्मण
31. चर्मोपजीवी	वैदेशिका	ब्राह्मण
32. चमकार	आयोगव	ब्राह्मणी
33. चर्मजीवी	निषाद	करूषी
34. तक्ष	माहिष्य	करण
35. तक्षवृति	उग्र	ब्राह्मण
36. दंतकवेलक	चाण्डाल	वैश्य
37. दस्यु	निषाद	आयोगव
38. द्रुमिल	निषाद	क्षत्रिय
39. नट	पिछल्ल	क्षत्रिय
40. नापित	निषाद	ब्राह्मण
41. नीलादिवर्णविक्रेता	आयोगव	चिरकरी
42. पिछल्ल	मल्ल	क्षत्रिय
43. पिंगल	ब्राह्मण	आयोगव
44. भागलब्ध	दौसंती	ब्राह्मणी
45. भरूष	सुधन्वा	वैश्य
46. भैरव	निषाद	शूद्र
47. मातंग	विजन्मा	वैश्य
48. मधुक	वैदेहिक	आयोगव
49. मालाकार	दस्यु	वैश्य
50. मैत्रा	विजन्मा	वैश्य
51. रजक	विदेह	ब्राह्मण
52. रथकार	माहिष्य	करण
53. रेणुक	नापित	ब्राह्मण
54. लौहकार	माहिष्य	ब्राह्मणी
55. वर्धकी	माहिष्य	ब्राह्मण
56. वार्य	सुधन्वा	वैश्य
57. विजन्मा	भरूश	वैश्य
58. शिल्प	माहिष्य	करण
59. श्वपच	चाण्डाल	ब्राह्मणी
60. सनक	मागध	क्षत्रिय
61. समुद्र	तक्षवृति	वैश्य
62. सात्वत	विजन्मा	वैश्य
63. सुनिषाद	निषाद	वैश्य

मनु द्वारा रचित पांच जातियों की श्रेणियों में से चार को तो सरलता से समझा जा सकता है। परन्तु इनमें से पांचवी श्रेणी संकर जाति के विषय में भी ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उठते हैं। पहली बात तो यह है कि मनु की यह सूची यंत्रवत् है। यह एक सम्पूर्ण सूची नहीं हैं, जिसमें संकर जातियों की सभी संभावनाएं हों।

अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से आर्य जातियों से उत्पन्न मिश्रित जातियों के विषय में चर्चा आती है तो मनु द्वारा जातियों के नाम स्पष्ट किए जाने चाहिए थे। चार में से प्रत्येक वर्ण के बारह अनुलोम–प्रतिलोम जातियां जन्मी। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो अड़तालिस जातियां बननी चाहिए थीं। दरअसल उन्होंने मिश्रित विवाहों से जनित केवल चार जातियों का उल्लेख किया है।

विवाहों से जनित केवल चार जातियों का उल्लेख किया है।

अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण जन्मी 144 जातियों की सूची मनु को प्रस्तुत करनी चाहिए थी, क्योंकि इन विवाहों की संख्या बारह है। वास्तव में मनु ने केवल ग्यारह जातियां बताई हैं। इन ग्यारह जातियों के निर्माण के विषय में उन्होंने केवल पांच के मिश्रण का उल्लेख किया है। इनमें से एक (वैदेह) अनुलोम प्रतिलोम की सूची से बाहर है। आठ का प्रसंग छोड़ ही दिया गया है।

आर्य और अनार्य जातियों के मेल से उत्पन्न संकर जातियों के विषय में भी उनके कथन में विसंगति हैं। हमें सर्वप्रथम तो आर्यों के प्रत्येक वर्ण के अनार्यों के मिश्रण में उत्पन्न जातियों की सूची प्राप्त होनी चाहिए थी। वह अप्राप्य है। हम यह मान लेते हैं कि एक ही अनार्य जाति दस्यु थी। फिर भी हमें प्रत्येक अनुलोम प्रतिलोम के प्रतिफल में 12 जातियों का ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में मनु ने केवल एक मिश्रण का उल्लेख किया है।

संकर जातियों पर विचार करते समय मनु ने व्रात्य और आर्य जातियों के मिश्रण पर ध्यान नहीं दिया। व्रात्य और अनुलोम–प्रतिलोम का भी कोई उल्लेख नहीं है और न व्रात्य और अनार्य जातियों के संयोग का।

मनु की इन त्रुटियों में कुछ तो बहुत ज्वलंत और महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों से उत्पन्न संकर जाति को लेते हैं। मनु इस संबंध में मौन हैं कि इनमें कौन सी जाति बनी। न ही उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वे विवाह अनुलोम थे अथवा प्रतिलोम। मनु ने यह उल्लेख नहीं किया। क्या ऐसा मान लें कि उनके समय ऐसी संकर जातियां उत्पन्न ही न हुई हों? या वे ऐसा उल्लेख करने से भय खाते थे? यदि वह बात थी तो डर किस का था?

मनु तथा अन्य स्मृतिकारों ने संकर जातियों के जो नाम गिनाए है, उनमें से कुछ जाली लगते हैं क्योंकि जिन जातियों को जारज उत्पत्ति का बताया गया है, मनु से पूर्व उनका नाम किसी ने नहीं सुना था और न यह पता चलता है कि तब से आज तक वे कहां विलीन हैं। आज उनका कोई पता नहीं है और कभी उनका उल्लेख नहीं मिलता। जाति एक अमिट परंपरा है और एक बार बन जाने पर उसका अलग अस्तित्व जारी रहता है जब तक कि उसे लुप्त हो जाने का कोई विशेष कारण न हो। ऐसा हो तो सकता है किन्तु नाममात्र को।

ये आयोगव, धिगवान, उग्र, पुक्कस, श्वपाक, श्वपच, पांडुश्वपाक, अहिंदक, बंदिका, मट्टा, महिकार, शालिका, शंडिका, शुलिका, यकज, कुकुंद कौन हैं? यह तो थोड़े से ही गिनाए गए हैं। ये कहां गए? इनका क्या हुआ?

अब हम मनु की अन्य स्मृतिकारों से तुलना करें। उन्होंने किन जातियों का उल्लेख किया है। क्या वे इन संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में एकमत हैं? ऐसा नहीं है। यह निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है:–

1. आयोगव

स्मृति	पिता	माता
1. मनु	शूद्र	वैश्य
2. उशनस	वैश्य	क्षत्रिय
3. याज्ञवल्क्य	शूद्र	वैश्य
4. बौधायन	वैश्य	क्षत्रिय
5. अग्नि पुराण	शूद्र	क्षत्रिय

2. उग्र

स्मृति	पिता	माता
1. मनु	क्षत्रिय	शूद्र
2. उशनस	ब्राह्मण	शूद्र
3. याज्ञवल्क्य	क्षत्रिय	वैश्य
4. वशिष्ठ	क्षत्रिय	वैश्य
5. सूत	वैश्य	शूद्र

3. निषाद

स्मृति	पिता	माता
1. मनु	ब्राह्मण	शूद्र
2. उशनस	ब्राहाण	शूद्र
3. बौधायन	ब्राह्मण	शूद्र
4. याज्ञवल्क्य	ब्राह्मण	शूद्र
5. सूत संहिता	ब्राह्मण	शूद्र
6. सूत संहिता	ब्राह्मण	वैश्य
7. वशिष्ठ	वैश्य	शूद्र

4. पुक्कस

स्मृति	पिता	माता
1. मनु	निषाद	शूद्र
2. बृहद् विष्णु	शूद्र	क्षत्रिय

5. मागध

स्मृति	पिता	माता
1. मनु	वैश्य	क्षत्रिय
2. सूत	वैश्य	क्षत्रिय
3. बौधायन	शूद्र	वैश्य
4. याज्ञवल्क्य	वैश्य	क्षत्रिय
5. बृहद विष्णु	वैश्य	क्षत्रिय
6. बृहद विष्णु	शूद्र	क्षत्रिय
7. बृहद विष्णु	वैश्य	ब्राह्मण

	6. रथकार	
1. उशनस	क्षत्रिय	ब्राह्मण
2. बौधायन	वैश्य	शूद्र
3. सूत	क्षत्रिय	ब्राह्मण
	7. वैदेहक	
1. मनु	शूद्र	वैश्य
2. मनु	वैश्य	ब्राह्मण
3. याज्ञवल्क्य	वैश्य	ब्राह्मण

यदि विभिन्न स्मृतियों में संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में हुए उल्लेखों पर ध्यान दिया जाए तो फिर विचारों में इतनी व्यापक भिन्नता क्यों हैं? दो जातियों के मेल से तीसरी जाति की रचना तार्किक हो सकती हैं परन्तु उन्हीं दो वर्णों के मिश्रण से भिन्न जातियां कैसे बना गईं? यही तो मनु और उनके अनुयायी कह गए हैं। निम्नांकित तथ्यों को देखें:

1. क्षत्रिय पिता और वैश्य माता का संयोग:
   - क) बौधायन कहते हैं कि वह संतति क्षत्रिय है।
   - ख) याज्ञवल्क्य का कथन है कि वह महिष्य है।
   - ग) सूता का मत है कि यह अम्बष्ट है।
2. शूद्र पिता और क्षत्रिय माता का संयोग:
   - क) मनु कहते हैं कि वह संतति क्षत्रिय है।
   - ख) उशनस के अनुसार पुलक्ष है।
   - ग) वशिष्ठ का मत है कि वह वेन है।
3. ब्राह्मण पिता और वैश्य माता का मेल :
   - क) मनु के अनुसार संतति अम्बष्ट है।
   - ख) सूत का मत है वह उर्ध्वनापित है। उसका एक और कथन है कि वह कुंभकार है।
4. वैश्य पिता और क्षत्रिय माता का मेल :
   - क) मनु की दृष्टि में वह संतति मागध है,
   - ख) सूत का मत है: 1. भोज 2. म्लेच्छ, 3. शालिक, 4. पुलिंद ये एक ही मिश्रण की जातियां हैं।
5. क्षत्रिय पिता और शूद्र माता का मेल :
   - क) मनु का कथन है वह संतति उग्र है।
   - ख) सूत के अनुसार, 1. दौसंतया, 2. दौसंती, और 3. शुलिका एक ही मिश्रण से बने हैं।
6. शूद्र पिता और वैश्य माता का मेल :
   - क) मनु का कथन है, वह संतति आयोगव है।
   - ख) सूत ने उसे – 1. पटट्नशाली, और 2. चक्री कहा है।

अब एक अन्य प्रश्न पर विचार किया जाए। क्या संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में मनु की व्याख्याएं ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं?

आभीर से आरम्भ करते हैं। मनु कहते है कि ये ब्राह्मण पुरूष और अम्बष्ट नारी की जारज संतान हैं। इस संबंध में इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि आभीर (जिसका अपभ्रंश अहीर है) एक चरवाहा जनजाति थी जो सिंध कहे जाने वाले निचले उत्तर पश्चिमी जिलों में विचरते थे। वह एक स्वतंत्र शासक जनजाति थी और विष्णु पुराण के अनुसार आभीरों ने मगध विजय कर लिया था एवं कई वर्षों तक वहां शासन किया।

अम्बष्टों के विषय में मनु का कथन है कि वे ब्राह्मण पुरूष और वैश्य स्त्री की संतान हैं। पतंजलि का कथन है कि अम्बष्ट लोग अम्बष्ट देश के निवासी हैं। यह निर्विवाद है कि अम्बष्ट एक स्वतंत्र जनजाति थी। चन्द्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी दूत मेगस्थनीज ने अम्बष्टों का उल्लेख किया है कि वह पंजाब क एक जनजाति थी जिसने भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथ युद्ध किया। अम्बष्टों का महाभारत में भी उल्लेख है। उनकी राज्य–व्यवस्था और शौर्य का सम्मानजन वर्णन है।

मनु कहते हैं आंध्र द्वितीय श्रेणी की जारज संतान थी जो वैदेहक पुरूष और कारवार स्त्री से उत्पन्न बताए गए हैं, जो स्वयं जारज थे। ऐतिहासिक साक्ष्य नितांत भिन्न हैं। आंध्र वे लोग हैं जो दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में निवास करते हैं। आंध्रों का मेगस्थनीज ने भी उल्लेख किया है। प्लीनी द एल्डर (77 ई.) ने वर्णन किया है कि यह दक्षिणवासी एक शक्तिशाली जाति है जिसकी दक्षिण में सार्वभौम सत्ता है। उनके अधिकार में अनेक गांव हैं जिनके तीन नगरों का परकोटा है, उनकी रक्षा खाई खंदकों से होती और अपने राजा को एक लाख पैदल, दो हजार अश्वारोही और एक हजार हाथी उपलब्ध कराते हैं।

मनु के अनुसार मागध वैश्य पुरूष और क्षत्रिय नारी से उत्पन्न जारज संतान हैं। वैयाकरण पाणिनि में "मगध" की व्युत्पति भिन्न प्रकार से की है। उनके अनुसार "मागध" का अर्थ है मगध देशवासी। उस समय मगध का अर्थ बिहार के पटना और गया जनपद। ज्ञात समय से ही उन्हें स्वतंत्र सार्वभौम बताया गया है, उनका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में आया है। प्रसिद्ध जरासंध मगध का राजा था, जो पांडवों का समकालीन था।

मनु का कथन है कि निषाद ब्राह्मण पुरूष और शूद्र स्त्री की जारज संतान हैं। इतिहास के साक्ष्य बिल्कुल भिन्न हैं। निषाद एक देशी जनजाति थी, जिनका स्वतंत्र प्रदेश और अपने राजा होते थे। यह एक बहुत प्राचीन जनजाति है। रामायण में गुहा को निषाद राज बताया गया है, जिसकी राजधानी श्रृंगवेरपुर थी। जब राम वनवास को जा रहे थे, तो उसने उनका आतिथ्य किया था।

वैदेहक के विषय में मनु का मत है कि वे वैश्य पुरूष और ब्राह्मण स्त्री की जारज संतान हैं। व्युत्पति शास्त्र के अनुसार वैदेहक का अर्थ विदेह देश के निवासी से है। प्राचीन विदेह बिहार के दरभंगा और चम्पारन जनपद में स्थित था। यह देश और इस के निवासियों का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। राम की पत्नी सीता, जनक की पुत्री थी, जो विदेह के राजा थे। उसकी राजधानी मिथिला थी। ऐसे और भी बहुत से तथ्यों की विवेचना की जा सकती है। ये ही पर्याप्त हैं। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि मनु ने इतिहास का भ्रष्ट कर डाला और अत्यंत सम्मानित तथा शक्तिशाली जनजातियों को जारज घोषित कर दिया। बड़े–बड़े समुदायों को थोक के भाव जारज बता डालने वाले मनु ने व्रात्यों को छोड़ दिया। परन्तु परवर्तियों ने वही कार्यक्रम जारी रखा और व्रात्यों को भी जारज कह दिया। मनु के अनुसार कर्ण व्रात्य थे। परन्तु ब्रह्मवैवर्त पुराण ने उन्हें जारज बताया है और कहा है कि वे वैश्य पिता और शूद्र माता की संतान हैं। मनु ने पौंड्रकों को व्रात्य माना है। किन्तु ब्रह्मवैवर्त पुराण में उन्हें वैश्य पिता और चुन्दी माता की संतान बताया है। मल्ल को मनु व्रात्य कहते हैं किन्तु ब्रह्वैवर्त पुराण में वे लेत्त पिता और तीव्र माता से उत्पन्न हुए हैं। वृहज्जकौतुक को मनु व्रात्य ब्राह्मण मानते हैं। परन्तु गौतम संहिता में वे ब्राह्मण पिता और वैश्य मां के पुत्र–पुत्री हैं। मनु ने यवनों को व्रात्य क्षत्रिय घोषित किया है। लेकिन गौतम संहिता में वे क्षत्रिय पिता और शूद्र मां से जन्में हैं। मनु किरातों को व्रात्य क्षत्रिय कहते हैं। वल्लाल चरित्र में उन्हें वैश्य पिता और ब्राह्मण माता की संतान कहा गया है।

शक्तिशाली जनजातियों को जारज घोषित कर दिया। बड़े–बड़े समुदायों को थोक के भाव जारज बता डालने वाले मनु ने व्रात्यों को छोड़ दिया। परन्तु परवर्तियों ने वही कार्यक्रम जारी रखा और व्रात्यों को भी जारज कह दिया। मनु के अनुसार कर्ण व्रात्य थे। परन्तु ब्रह्मवैवर्त पुराण ने उन्हें जारज बताया है और कहा है कि वे वैश्य पिता और शूद्र माता की संतान हैं। मनु ने पौंड्रकों को व्रात्य माना है। किन्तु ब्रह्मवैवर्त पुराण में उन्हें वैश्य पिता और चुन्दी माता की संतान बताया है। मल्ल को मनु व्रात्य कहते हैं किन्तु ब्रह्वैवर्त पुराण में वे लेत्त पिता और तीव्र माता से उत्पन्न हुए हैं। वृहज्जकौतुक को मनु व्रात्य ब्राह्मण मानते हैं। परन्तु गौतम संहिता में वे ब्राह्मण पिता और वैश्य मां के पुत्र–पुत्री हैं। मनु ने यवनों को व्रात्य क्षत्रिय घोषित किया है। लेकिन गौतम संहिता में वे क्षत्रिय पिता और शूद्र मां से जन्में हैं। मनु किरातों को व्रात्य क्षत्रिय कहते हैं। वल्लाल चरित्र में उन्हें वैश्य पिता और ब्राह्मण माता की संतान कहा गया है।

यह स्पष्ट है कि मनु ने जिन जातियों का जारज कहा है, उनमें से कई की उत्पति स्वतंत्र है, फिर भी मनु और अन्य स्मृतिकार उन्हें जारज बताते हैं। उनके प्रति ऐसा पागलपन क्यों? क्या उनके पागलपन की कोई पद्धति है?

इन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह एक पहेली ही है कि मनु ने संकर जातियों का प्रश्न क्यों खड़ा किया। आखिर इसके पीछे उनका तात्पर्य क्या था?

ऐसा संभव है कि मनु को यह बात समझ में आ गई थी कि चातुर्वर्ण्य–व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है और उन जातियों की बड़ी उपस्थिति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों की परिधि में नहीं आती थीं, चातुर्वर्ण्य के विफल हो जाने का उत्तम प्रमाण था। इसलिए उन्हें चातुर्वर्ण्य के नियमों को अनदेखा करके चातुर्वर्ण्य से बाहर की जातियों के अस्तित्व के विषय में प्रकाश डालने के लिए विवश होना पड़ा।

पर क्या मनु ने अनुभव किया कि उन्होंने जो व्याख्या की थी, वह कैसी भयानक थी। उनकी व्याख्या के क्या अर्थ निकलते हैं?

उनके कथन से समाज के मानव–चरित्र और विशेषकर स्त्री जाति पर क्या कलंक पुत गया? यह स्पष्ट है कि पुरूष और नारियों के बीच गुप्त संबंध थे क्योंकि चातुर्वर्ण्य ने प्रतिबंधित कर दिया था। किन्तु ये गुप्त संबंध इक्का–दुक्का रहे होंगे। वे बड़े स्तर पर नहीं हो सकते थे। परन्तु जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि बड़े दुराचार इतने व्यापक स्तर पर विद्यमान थे, इस बात का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता कि मनु द्वारा वर्णित इतने सारे चाण्डाल और अस्पृश्य समाज में पैदा हो गए हैं।

चातुर्वर्ण्य ने प्रतिबंधित कर दिया था। किन्तु ये गुप्त संबंध इक्का–दुक्का रहे होंगे। वे बड़े स्तर पर नहीं हो सकते थे। परन्तु जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि बड़े दुराचार इतने व्यापक स्तर पर विद्यमान थे, इस बात का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता कि मनु द्वारा वर्णित इतने सारे चाण्डाल और अस्पृश्य समाज में पैदा हो गए हैं।

मनु ने कहा है कि चाण्डाल जाति ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरूष के बीच अवैध संभोग का परिणाम है। क्या यह सच हो सकता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि ब्राह्मण स्त्रियों का चरित्र बहुत भ्रष्ट रहा होगा। शायद इसका अर्थ शूद्रों से संभोग करने को उनके मन में विशेष आकर्षण हो। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है?

चाण्डालों की जनसंख्या इतनी अधिक है कि यदि प्रत्येक ब्राह्मण स्त्री भी एक शूद्र की रखैल रही होगी तो भी समाज में चाण्डाल इतने अधिक पैदा न होते जितनी कि चाण्डालों की जनसंख्या है।

संकर जाति संबंधी इस सिद्धान्त के प्रतिपादन से पहले क्या मनु ने सोचा कि इस देश में इतने अधिक जन–समुदाय को अकुलीन घोषित कर दिया जाए और वे सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से नीच कहलाए जाकर समाज में रहें? उन्होंने क्यों कहा कि जातियां दोगली हैं जबकि वास्तव में इन जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व था?

सामार – बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय
पृष्ठ सं. 217 से 230
खण्ड – 8
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

www.dbindia.org.in
RNI No. : UPHIN-2009/29369
डाक पंजीकरण : MISC-II/CPM/09/KPHO/2014-17
प्रधान डाकघर कानपुर–डाक प्रेषण दिनांक 29/30

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली 1995

नियम 12/4

राहत के मापदण्ड

सेवा में,
नाम श्री.....................................
पता ....
....
....

	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1.	अखाद्यया घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना धारा 3(1)(I)	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 25,000/– रू0 या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा दिए जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : (1) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए। (2) 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाय।
2.	क्षति पहुँचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना 3(1)(II)	
3.	अनादर सूचक कार्य धारा 3(1)(III)	
4.	सदोष भूमि अधिभोग में लेना या उसपर कृषि करना आदि 3(1)(IV)	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 25,000/– रू0 या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल ही आपूर्ति जहाँ आवश्यक हो सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जाएगी। जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।
5.	भूमि, परिसर या जल से संबंधित धारा 3(1)(V)	
6.	बेगार या बलात श्रम या बंधुवा मजदूरी धारा 3(1)(VI)	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 25,000/– रू0 प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में धारा 3(1)(VII)	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 20,000/–रू0 जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है।
8.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करनेवाली विधिक कार्यवाही धारा 3(1)(VIII)	25,000/–रू0 या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो।
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी धारा 3(1)(XI)	
10.	अपमान, अभित्रास धारा 3(1)(X) –	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000/–रू0 तक। 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए, और शेष दोष सिद्ध होने पर।
11.	किसी महिला की लज्जाभंग करना धारा 3(1)(XI)	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 50,000/–रू0 चिकित्सा जाँच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
12.	महिला का लैंगिक शोषण धारा 3(1)(XII)	
13.	पानी गन्दा करना धारा 3(1)(XIII) –	1,00,000/–रू0 तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए, तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत उस स्तर पर जिसपर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।
14.	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित – करना धारा 3(1)(XIV)	1,00,000/–रू0 तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो उसका पूरा प्रतिकर 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय को दोष सिद्ध होने पर।
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर – मजबूर करना धारा 3(1)(XV)	स्थल बहाल करना, ठहरने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000/–रू0 का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण यदि नष्ट किया गया हो। पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय मे आरोप पत्र भेजा जाए।
16.	मिथ्या साक्ष्य देना धारा 3(2)(I) और (II)	कम से कम 100,000/–रू0 या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 50,000/–रू0।
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध करना धारा (2)	कम से कम 50,000/–रू0 प्रत्येक पीड़ित व उसके आश्रितों को यह अपराध के प्रकृति पर निर्भर होगा। यदि अनुसूचि में विशिष्ट रूप है अन्यथा प्रावधान किया हुआ है तो राशि में अंतर होगा।
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न धारा 3(2)(VII)	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय मे दोष सिद्ध हो जाए।
19.	निर्योग्यता। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं0– 462183 एच0 डब्लू0 3 दिनांक– 6 अगस्त 1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्यताओं का उल्लेख किया गया है के आलोक में।	
(क)	100 प्रतिशत असमर्थता	
(I)	परिवार का न कमानेवाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 1,00,000/–रू0 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
(II)	परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,00,000/–रू0 50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जाँच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय मे दोष सिद्ध होने पर।
(ख)	जहाँ असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है	उपर्युक्त (क)(I) और (II) में निर्धारित दरों को भी अनुपात मे कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वही होंगे। तथापि न कमाने वाले सदस्य को 15,000/–रू0 से कम नहीं और परिवार के कमाने वाला सदस्य को 30,000/–रू0 से कम नहीं
20.	हत्या/मृत्यु	
(क)	परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 1,00,000/–रू0 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
(ख)	परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 2,00,000/–रू0 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलातसंग, सामूहिक बलातसंग गैंग द्वारा किया गया बलातसंग स्थायी असमर्थता और डकैती।	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :– (I) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और या अन्य आश्रितों को 1000/–रू0 प्रति मास की दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा। (II) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्चा। बच्चों को आश्रम स्कूलों आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए। (III) तीन मास की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।
22.	पूर्णतया नष्ट करना/जला हुआ मकान	जहाँ मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो वहाँ सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए।

(पी0 एल0 पुनिया)
अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
भारत सरकार